282

संख्याः / XVII-2 / 14-01(42) / 2009

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2014

विषयः जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में मुख्य मजिस्ट्रेट, जूवेनाईल जस्टिस बोर्ड हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1253 दिनाक 14 मार्च, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में मुख्य मजिस्ट्रेट, जूवेनाईल जस्टिस के एक-एक अस्थायी न्यायालय तथा उसके लिए निम्नलिखित अस्थायी संवर्गीय पदों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो से 6 (छः) माह अथवा 28.02.2015 जो भी पूर्व में तक, यदि ये पद बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जाए, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान (अपुनरीक्षित वेतनमान)	पुनरीक्षित वेतनमान		एक न्यायालय हेतु पदों की संख्या	03 न्यायालयों हेतु कुल पदों की संख्या
			पे बैण्ड में वेतनमान	ग्रेड वेतन		
1.	प्रधान मजिस्ट्रेट / न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)	9000-250-10750-300-13250-350-14550	27700-770-33090-920-40450-1080-44770		1	3
2.	मुन्सरिम	4000-6000	5200-20200	2400	1	3
3.	आशुलिपिक	4000-6000	5200-20200	2400	1	3
4.	रीडर	4000-6000	5200-20200	2400	1	3
5.	शूट क्लर्क एवं सिस. क्लर्क	4000-6000	5200-20200	2400	2	6
6.	चपरासी	4440-7440 ग्रेड पे-1300 (आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जायेगे)			1	3
				कुल पद	7	21

2- चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित कार्मिकों की भर्ती नहीं की जायेगी। यह पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जायेगें।

3- चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोडते हुए शेष पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा अन्य सुविधायें आई0सी0पी0एस0 (समेकित बाल संरक्षण योजना) की गाईडलाईन के अनुसार दी जायेगी।

4- कार्मिक विभाग के प्रचलित शासनादेशों के तहत सिविल जज के पद को छोड़कर शेष पूर्ण कालिक पदों पर भर्ती आई0सी0पी0एस0 (समेकित बाल संरक्षण योजना) की गाईडलाईन के अनुसार की जायेगी।

5- उक्त पदों की सेवायें आई0सी0पी0एस0 (समेकित बाल संरक्षण योजना) की गाईडलाईन एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार होगी।

6- उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में मानी जायेगी।

7- उक्त पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-15 के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण 102-बाल कल्याण-0123-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0)(75 प्रतिशत के0स0) के मानक पद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1014/XXVII(1)/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

सलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1706 (1)/ XVII-2/14-01(42)/2009तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण/अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, उत्तराखण्ड शासन।
3- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
4- निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, समाज कल्याण/सदस्य सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
5- अवर सचिव, महिला एव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- जनपद न्यायाधीश, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
7- जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
अनु सचिव।